

सिपेट / कोरबा / प्रशासनिक/ एंटी रैगिंग कमेटी /
CIPET/KORBA/ADMIN/ Anti Ragging Committee/

दिनांक: 10.05.2024
Date: 10.05.2024

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: सिपेट, कोरबा में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन ।

Subject: Constitution of Anti Ragging Committee at CIPET, Korba- reg.

- संदर्भ:- 1. एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2024-25 / AICTE Approval Process Handbook 2024-25
2. सिपेट/एच.ओ./एकेड/एआईसीटीई-कौम/2023-24/दिनांक25/07/23/CIPET-HO/Acad/AICTE-Comm./2023-24 Dated 25/07/23.
3. रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध की परिशिष्ट 12 / Appendix 12 on Prevention and Prohibition of Ragging.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली ने अपनी अधिसूचना सं. 37-3/कानूनी/एआईसीटीई/2009 दिनांक 01.07.2009 और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध के लिए दिनांक 16/05/2007 के आदेश के तहत नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन एवं कार्यान्वयन के आदेश दिए हैं।

The All-India Council of Technical Education (AICTE), New Delhi has taken a very serious view of ragging incidence in technical education institute vide its notification no. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated on 01.07.2009 & Honourable Supreme Court of India has ordered for strict implementation of rules & regulation vide its order dated on 16/05/2007 for the Prevention and Prohibition of ragging in technical institute.

इस संबंध में, सिपेट, कोरबा (छ.ग) ने एआईसीटीई विनियमन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और राज्य अधिनियम के अनुसार परिसर के भीतर और बाहर रैगिंग गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के उपायों को स्थापित करने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया है।

In this regard, CIPET, Korba (C.G) has constituted the Anti Ragging Committee to establish measures for prohibiting, preventing and banning activities of Ragging Menace within and outside the campus in accordance with AICTE regulation, Hon'ble Supreme Court directed and state act.

कमेटी के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है: -

The details of the committee members are given below: -

क्रमांक / S.N.	अधिकारी का नाम / Name of Official	पद / Designation	स्थिति/ Status	संपर्क विवरण/ Contact No.
1	श्री राजीव कुमार लिहारे	प्रबंधक (तकनीकी)	अध्यक्ष	8984010720
2	श्री विनीत सिंघल	वरिष्ठ अधिकारी (वित एवं लेखा)	सदस्य	9045846045
3	डॉ. दिवेश बी मेश्राम	तकनीकी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी (एलटीसी)	सदस्य	9422802207
4	श्री विनोद सिंह	उप निरीक्षक दर्ती थाना	सदस्य	9691813307
5	श्री दीपेश भारती	रोजगार अधिकारी	सदस्य	9424252156
6	डॉ. ज्योति श्रीवास्तव	वरिष्ठ रसायनज्ञ सीएसईबी, कोरबा (सेवानिवृत्त) लायंस क्लब के अध्यक्ष	सदस्य	7415198014
7	श्री रजनीश प्रसाद पाण्डेय	व्याख्याता	सदस्य	8966000083
8	श्री ऋषिकेश भांजा	व्याख्याता	सदस्य	8895953716
9	सुश्री पुष्पलता साहू	बालिका छात्रावास वार्डन प्रभारी	सदस्य	7999698228
10	सुश्री दीप्ति साहू *	छात्रा डीपीएमटी तृतीय वर्ष	सदस्य	8109074855
11	श्री रूपेश साहू *	छात्र डीपीटी तृतीय वर्ष	सदस्य	8319554395
12	श्री संजय कुमार बधूक	तकनीशियन ग्रेड III	सदस्य	7978785859
13	श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा	विद्यार्थी के पालक	सदस्य	9340447122
14	श्री शिव कुमार साहू	विद्यार्थी के पालक	सदस्य	9907832555
15	सुश्री दुर्गा रानी नायक *	छात्रा डीपीटी द्वितीय वर्ष	सदस्य	9755036648
16	श्री पोदीर्ला देवराजु *	छात्र डीपीएमटी द्वितीय वर्ष	सदस्य	9873335242



*इस कमेटी में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (डीपीटी एवं डीपीएमटी पाठ्यक्रम) के छात्र प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

*Class representative of 2nd Year & 3rd Year (DPT and DPMT course) will be the student members in this committee.

समिति का कर्तव्य निम्नानुसार है:

Duty of the committee is as follows:

विनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ रैगिंग से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही संस्थान में रैगिंग की रोकथाम में रैगिंग रोधी दस्ते के प्रदर्शन की निगरानी करना भी कर्तव्यों में शामिल करना होगा।

To ensure compliance with the provisions of the regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also, to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of Ragging in the Institute.



प्रधान निदेशक एवं प्रमुख /
Principal Director & Head



प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त छात्र / All concerned official, staff and students
2. सभी विभागाध्यक्ष / All Head of the Department.
3. प्रशासनिक विभाग / Administration Department